

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाड़ी, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :- प्रीति गीणा, (RAS)

प्रार्थना पत्र सं०--238/2025

प्रतिदिनांक--21.05.25

राधेश्याम पुत्र बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम झिलाय तह० निवाड़ी जिला-टोंक राज०
वनाम

प्रार्थी

तहसीलदार साहब निवाड़ी तहसील निवाड़ी जिला-टोंक (राज०)

- अप्रार्थीगण

उपस्थित- अधिवक्ता श्री रमेश कुमार शर्मा-प्रार्थी

पेरोकार सरकार- तहसीलदार निवाड़ी

निर्णय

आवेदन अन्तर्गत धारा 136, भू-राजस्व अधिनियम

बाबत शीट दुरुस्ती करने

दिनांक

प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात खाता सं० 495 जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 खसरा नं० 941/1 रकबा 7 बिस्वा यानि 0.0885 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम झिलाय पटवार हल्का झिलाय तहसील निवाड़ी में स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि का पूर्व का खसरा नम्बर 941 हाल खसरा नम्बर 941/1 रकबा 7 बिस्वा यानी 0.0885 हैक्टेयर भूमि है। उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थी को आवंटन सलाहकार समिति केंप झिलाय द्वारा दिनांक 20.06.1989 को आवंटन की गई जिसका पटवारी हल्का झिलाय ने मौके पर दिनांक 12.06.1990 को सुपुर्दगीनामा मय नक्शा ट्रेस मौका कब्जा सम्भला कर प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित भूमि सुपुर्द की थी जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 941/1 दर्ज है। वर्तमान में प्रार्थी उपरोक्त भूमि पर सुपुर्दगीनामों के अनुसार काबिज है। परन्तु नक्शा शीट में प्रार्थी के आवंटन सुपुर्दगीनामा के साथ संलग्न नक्शा के अनुसार शीट की तरमीम नहीं होने से एवं वर्तमान शीट में गलत रूप से राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने गलत तरमीम कर दी है व तरमीम का इन्द्राज गलत कर दिया है जिसको न्यायहित में प्रार्थी के आवंटन व सुपुर्दगीनामों के अनुसार दुरुस्त किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है। तहसीलदार साहब से सुपुर्दगीनामों अनुसार तरमीम करने का निवेदन किया तो उन्होंने सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने के लिए कहा। अतः माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की आराजियात खाता सं० 495 जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 खसरा नं० 941/1 रकबा 7 बिस्वा यानि 0.0885 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम झिलाय पटवार हल्का झिलाय तहसील निवाड़ी की तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक आवंटन दिनांक 20.06.1989 के साथ संलग्न सुपुर्दगीनामा के साथ संलग्न नक्शा शीट के अनुसार वर्तमान शीट को दुरुस्त करने के आदेश तहसीलदार निवाड़ी को प्रदान करें।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप नकल फोटो प्रति आवंटन पत्र, सुपुर्दगीनामा, पर्चा मौका, नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार निवाड़ी से रिपोर्ट प्राप्त, जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार निवाड़ी से प्राप्त रिपोर्ट का सारांशतः इस प्रकार है कि तहसील कार्यालय के रिकॉर्ड कम्प्यूटराईजेशन प्रक्रिया के अन्तर्गत ग्राम झिलाय के नामान्तरकरण 2157 में ख०नं० 941 मी० रकबा 0.07 बीघा के बजाय 941/1 रकबा 0.07 बीघा दर्ज कर स्वीकृत किया गया है। सुपुर्दगीनामों की प्रति प्राप्त होने के पश्चात ही सुपुर्दगीनामों के अनुसार संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मिश्रा ने प्रार्थीगण सत्यनारायण शर्मा व अन्य की ओर से प्रार्थना-पत्र आदेश-1 नियम-10 एवं अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया जिसकी प्रति अधिवक्ता प्रार्थी को दिलवाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र आदेश-1 नियम-10 एवं अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का जवाब न देकर सीधे बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र आदेश-1 नियम-10 एवं अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर जवाब बन्द किया जाकर बहस सुनी। अधिवक्ता

उपखण्ड अधिकारी
निवाड़ी (टोंक)

प्रार्थना-पत्र आदेश-1 नियम-10 एवं अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेशकर्ता ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम गलत तथ्यों के साथ पेश किया है प्रार्थी के आवंटन सिवाइचक भूमि में से था सुपुर्दगीनामा ट्रेस प्रार्थी के मौके-कब्जे अनुसार उस वक्त नहीं बनकर संहयन से गलत बन गई जिसकी जानकारी राजस्व रिकॉर्ड के हल्का पटवारी व गिरदावर की जानकारी में आने पर उक्त सुपुर्दगीनामा ट्रेस को लगत मानकर एक रिपोर्ट तहसीलदार निवाई को दी थी जो दिनांक 27.06.2017 है जिसके आधार पर दिनांक 02.11.2020 को मौके के प्रार्थी के कब्जे अनुसार प्रार्थी के मौका काविज अनुसार शुद्धी पत्र ट्रेस नक्शा संशाधित कर दिया जो मौके की स्थिति अनुसार सही है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के बने हुये मकान के सामने शीट में तरमीम करवाना चाहता है जो सरासर मौके की स्थिति से विपरित है एवं अनुचित है सही और वास्तविक स्थिति को रखे जाने हेतु एवं प्रार्थी का संबंध मौके अनुसार उक्त प्रकरण में होने से प्रार्थी को पक्षकार बनाया जाना नितान्त आवश्यक व अनिवार्य है। इसलिए प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण 2 ता 5 के रूप में पक्षकार बनाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना-पत्र आदेश-1 नियम-10 एवं अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रकरण में देरी कारित करने एवं न्यायालय को गुमराह करने की मन्शा से किया गया है, प्रार्थना-पत्र आदेश-1 नियम-10 एवं अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेशकर्ताओं का प्रार्थी की भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थी को भूमि सरकार द्वारा आवंटन की गई है जिसका आदेश व सुपुर्दगीनामा पत्रावली में शामिल है। पत्रावली में लैण्ड होल्डर को पक्षकार बनाया गया है जिनकी तरफ से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अतः प्रार्थना-पत्र आदेश-1 नियम-10 एवं अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को मय हर्जे-खर्चे खारिज फरमाया जाकर पत्रावली में परोकार सरकार की बहस सुनी जाकर अन्तिम रूप से पत्रावली का निर्णय फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थना-पत्र आदेश-1 नियम-10 एवं अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर्ता ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेजात संलग्न नहीं किया है जिससे की उनका सम्बन्ध प्रार्थी की भूमि या प्रार्थना-पत्र 136 भू-राजस्व अधिनियम में वर्णित सिवायचक भूमि से हो। और दौरान बहस भी अपने प्रार्थना-पत्र आदेश-1 नियम-10 एवं अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के समर्थन में ऐसे कोई तथ्य पेश नहीं कर पाये है जिससे कि पत्रावली में प्रार्थना-पत्र आदेश-1 नियम-10 एवं अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेशकर्ताओं को पक्षकार बनाये जाना न्यायालय को आवश्यक महसूस हो। पत्रावली में भूमि-धारक तहसीलदार निवाई पहले से ही पक्षकार है एवं तहसीलदार निवाई की तरफ से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। ऐसे में प्रार्थना-पत्र आदेश-1 नियम-10 एवं अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी साक्ष्य दस्तावेजात के अभाव में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम में अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का एवं पैरोकार सरकार ने अपनी रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खाता सं० 495 जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 खसरा नं० 941/1 रकबा 7 बिस्वा यानि 0.0885 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम झिलाय पटवार हल्का झिलाय तहसील निवाई की तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक सुपुर्दगीनामा दिनांक 20.06.1989 के अनुसार किये जाने के आदेश फरमावे। पैरोकार सरकार ने कथन किया कि प्रार्थी की भूमि की तरमीम वर्तमान में मुताबिक सुपुर्दगीनामा नहीं है। प्रार्थी का कब्जा सुपुर्दगीनामा अनुसार है तथा प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 941/1 वाके ग्राम झिलाय की तरमीम मुताबिक सुपुर्दगीनामा दिनांक 20.06.1989 किये जाने से राज्य सरकार के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।


हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध वर्तमान शीट एवं सुपुर्दगीनामा दिनांक 20.06.1989 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 941/1 वाके ग्राम झिलाय की तरमीम मुताबिक सुपुर्दगीनामा नहीं है। जिसके सम्बन्ध में पैरोकार सरकार ने भी प्रार्थी की भूमि की तरमीम मुताबिक सुपुर्दगीनामा करने का स्वीकारोक्ति कथन किया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सही मानते हुए इस्तदुआ स्वीकार की गई। इसलिए न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढ़ोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः इकबालिया जवाब, बहस एवं पैरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर० एक्ट 1956 बाबत् दुरुस्त किये जाने शीट तरमीम स्वीकार करना उचित समझता है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टॉक)

आदेश

फलतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर एवं तहसीलदार निवाह/पेरोकार सरकार की रिपोर्ट/दस्तावेजात के आधार पर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1958 बाबत दुरुस्त किये जाने शीट तस्मीम भूमि खसरा नम्बर 941/1 रकबा 0.0885 बाके ग्राम झिलाय तहसील निवाह स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाह को आदेशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 941/1 रकबा 0.0885 हैक्ट, बाके ग्राम झिलाय तहसील निवाह की तस्मीम राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक सुपुर्दगीनामा अमल दरामद कर, पालना से अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 17/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पिंडी अर्थात्)
उपर्युक्त निवाह अधिकारी निवाह